भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखा-परीक्षा (केन्द्रीय),
चण्डीगढ़-160017

क्रमांक सं0.पीडीए(सी)/सीएफ/एसएआर/2014-15/39
दिनांक : 11.11.2014

सेवा में

सचिव,
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय : संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों पर पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मैं, संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों पर पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न कर रहा हूं । कृपया रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय रखा जाए ।

कृपया इसे प्रस्तुत करने के पश्चात हमें उपरोक्त रिपोर्ट की पांच प्रतियां प्रस्तुत करें।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित करें।

भवदीय

हस्ता/-
प्रधान निदेशक

संलग्नक: उपर्युक्त

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु पृथक् लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ निदेशक, संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) को प्रति प्रेषित की जा रही है ।

उप निदेशक

SPEED POST

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक – लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR ~~GENERAL~~ OF AUDIT (CENTRAL),
CHANDIGARH - 160017

क्रमांक / No.: PDA(C)/CE/SARs/2014-15/390
दिनांक / Dated : 11/11/2014

To

The Secretary,
Department of Education,
Ministry of Human Resource Development,
Government of India,
New Delhi.

Subject: Separate Audit Report on the annual accounts of Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) for the year ended 31 March 2014.

Sir,

I enclose a copy of the Separate Audit Report on the annual accounts of Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) for the year ended 31 March 2014 to be placed before both the Houses of Parliament. The report may be kept confidential till its presentation in the Parliament.

Kindly send us five copies of the above report after its presentation.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Encls: as above

— sd —
Principal Director

Copy forwarded to Director, Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) alongwith Separate Audit Report for the year ended 31 March 2014 for information please.

Deputy Director

लेखा परीक्षा भवन, सैक्टर 17-ई, चण्डीगढ़
दूरभाष 0172-2782020 फैक्स 0172-2782021

Lekha Pariksha Bhawan, Sector 17-E, Chandigarh
Tel.: (Off.) 0172-2782020 and (Fax) 0172-2782021

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का पृथक् लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

1. हमने 31 मार्च 2014 को यथाविद्यमान संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के तुलन-पत्र तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है । लेखापरीक्षा वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है । इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंधन का है । हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटन मानकों आदि के संबंध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं । कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां यदि कोई हों, निरीक्षण प्रतिवेदनों/सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं ।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है । इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं । लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते हैं । लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्धातों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रदान करती है ।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने वे समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक थेय

ii) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य प्रारूप के अन्तर्गत तैयार नहीं किए गए हैं ।

iii) हमारी राय में लेखाओं के समुचित और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहां तक ऐसी बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रकट होता है, संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं ।

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) for the year ended 31 March 2014.

1. We have audited the Balance sheet of Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) as at 31 March 2014, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2016-17. These financial statements are the responsibility of the Institute's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have not been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) in so far as it appears from our examination of such books.

पअद्ध हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए समेकित तुलन-पत्र
फंड को उपयोग में लाना

ए.1 मूर्त परिसम्पत्तियां (अनूसूची 22)
स्लाईट मुख्य खाता : 11773.14 लाख रूपए (अनुसूची 5)

ए) हिंसा के कारण कुछ वाहन, इमारतों के हिस्से, कार्यालय, सभा-भवन, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय तथा अतिथि गृह के क्षतिग्रस्त हो जाने से दो करोड रूपए की राशि का नुकसान हो गया था। इसके बावजूद भी परिसम्पत्तियों के नुकसान का खातों में न तो लेखा जोखा किया और न ही प्राकट्य हुआ। इस की वजह से परिसम्पत्तियां तथा सामान्य फंड दोनों ही 2 करोड़ की राशि तक अधिक हो गई।

बी उपरोक्त में, 194.00 लाख रूपए की ई-जर्नल अंशदान के कारण राजस्व व्यय राशि शामिल है, जिसमें 31.03.2013 तक की अवधि हेतु 109.71 लाख रूपए का भुगतान तथा वर्ष 2013-14 (जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक की अवधि के लिए 62.03 लाख रूपए सहित) हेतु 84.29 लाख रूपए के भुगतान शामिल हैं। इस प्रकार अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 की अवधि हेतु 46.52 लाख रूपए का भुगतान वित वर्ष 2014-15 से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप 194.00 लाख रूपए तक नियत परिसम्पत्तियों को अधिक करके दिखाया तथा ऋण, अग्रिम धन तथा जमा को 46.52 लाख रूपये तक कम करके दिखाया गया एवं सामान्य फंड को 109.71 लाख रूपये तक अधिक दिखाया गया और व्यय को 37.77 लाख रूपए की राशि तक कम करके दिखाया गया।

सी इमारत में 159.05 लाख रूपये की विद्युत् स्थापना, 136.71 लाख रूपये का उपकरण, 30.55 लाख रूपये की पुस्तकालय पुस्तकें, 84.27 लाख रूपये का टयूबवैल तथा जल आपूर्ति, 11.77 लाख रूपये का वाहन तथा 0.63 लाख रूपये का फर्नीचर एवं फिक्चर्स शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप इमारत को 422.98 लाख रूपये तक अधिक करके दिखाया गया एवं विद्युत स्थापना, उपकरण, पुस्तकालय पुस्तकें, टयूबवैल तथा जल आपूर्ति, वाहन, फर्नीचर एवं फिक्चर्स को क्रमश: 159.05 लाख रूपये, 136.71 लाख रूपये, 30.55 लाख रूपये, 84.27 लाख रूपये, 11.77 लाख रूपये तथा 0.63 लाख रूपये तक कम करके दिखाया गया।

डी उपरोक्त राशि में वर्ष 2011-12 के दौरान लड़कों के छात्रावास नं0 1 से 8 तथा पीजी होस्टल के फर्नीचर की मरम्मत पर हुए 4.28 लाख रूपये का खर्च शामिल है, जो राजस्व खर्च है। इसके परिणामस्वरूप 4.28 लाख रूपए की राशि तक इमारतों को अधिक दिखाने के साथ-साथ सामान्य फंड को अधिक करके दिखाया गया।

ए 2 वर्तमान परिसम्पत्तिया (अनुसूची 25)
स्लाईट मुख्य खाता 1500.79 लाख रूपए (अनुसूची 7)

इसमें वर्ष 31.12.2012 से 13.03.2014 की अवधि के दौरान आरटीजीएस के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त पात्र विद्यार्थियों में आवंटित की जाने वाली 12.01 लाख रूपए की राशि शामिल नहीं है। इस राशि को संस्थान ने इस आधार पर अपने खातों में नहीं लिया चूंकि प्रयासों के बावजूद भी

iv) We further report that:

A. Consolidated Balance Sheet
Application of Funds

A.1 Tangible Assets (Schedule 22)
SLIET Main Account: Rs. 11773.14 lakh (Schedule 5)

a) Certain vehicles, parts of buildings, offices, auditorium, laboratories, library and guest house to the tune of Rs. Two crore were damaged due to violence. However, damage to the assets have not been accounted neither disclosed in the Accounts. It resulted in overstatement of Assets and General Fund both by Rs. Two crore.

b) Above includes revenue expenditure on account of e-journals subscription of Rs.194.00 lakh which includes payment of Rs.109.71 lakh for the period up to 31.03.2013 and a payment of Rs.84.29 lakh in the year 2013-14 (including Rs.62.03 lakh for the period January 2014 to December 2014). Thus payment of Rs.46.52 lakh for the period April 2014 to December 2014 pertains to the financial year 2014-15. This has resulted in overstatement of Fixed Assets by Rs.194.00 lakh, understatement of Loans, Advances and Deposits by Rs.46.52 lakh and overstatement of General Fund by Rs. 109.71 lakh and understatement of expenditure by Rs. 37.77 lakh.

c) Building includes electrical installations of Rs.159.05 lakh, equipment of Rs.136.71 lakh, library books of Rs.30.55 lakh, tube wells and water supply Rs.84.27 lakh, Vehicles of Rs.11.77 lakh and Furniture and Fixtures of Rs.0.63 lakh This has resulted in overstatement of building by Rs. 422.98 lakh and understatement of Electric installations, Equipments, library books, Tube wells and water supply, vehicles, Furniture and fixtures by Rs. 159.05 lakh, Rs. 136.71 lakh, Rs. 30.55 lakh, Rs. 84.27 lakh, Rs. 11.77 lakh and Rs. 0.63 lakh respectively.

d) Above also includes an expenditure of Rs.4.28 lakh on account of Repair of Furniture of Boys Hostel No. 1 to 8 and P.G. Hostel incurred during the year 2011-12, which is a Revenue Expenditure. This has resulted in overstatement of Buildings as well as overstatement of General Fund by Rs.4.28 lakh.

A.2 Current Assets (Schedule 25)
SLIET Main Account: Rs. 1500.79 lakh (Schedule 7)

It does not include an amount of Rs.12.01 lakh received as Scholarship through RTGS between the periods 31.12.2012 to 13.03.2014 to be distributed among eligible students. This amount has not been taken by the Institute in its accounts on the ground that, despite efforts made, the list of

प्रायोजित एजेंसियों से लाभग्राही विद्यार्थियों की सूची प्राप्त नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप 12.01 लाख रूपए तक वर्तमान परिसम्पत्तियों को कम करके दिखाया एवं वर्तमान देयताओं को कम करके दिखाया गया ।

ए 3 ऋण, अग्रिम धन तथा जमा: (अनुसूची 26)
स्लाईट मुख्य खाता : 3144.13 लाख रूपए (अनुसूची 8)
वसूली योग्य अग्रिम धन (जीआईए) (अनुसूची 8ए के अनुसार) 2374.03 लाख रूपये :

ए) उपरोक्त राशि में संस्थान द्वारा अग्रिम धन के रूप में दिए गए फंड से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तीन सीटर छात्रावास एवं ओवरहैड टंकी के कार्य/नई जल आपूर्ति लाईन के निर्माण कार्य पर खर्च हुई 439.96 लाख रूपये की राशि शामिल है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा हॉस्टल की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और इसे 2010-2011 से संस्थान द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसी तरह से ओवरहैड टंकी का कार्य/नई जल आपूर्ति लाइन के कनैक्शन का कार्य वर्ष 2010 में पूरा हो चुका था, उक्त कार्य पर सीपीडब्ल्यूडी ने संस्थान द्वारा दिए गए अग्रिम धन से 41.05 लाख रूपये खर्च किए थे। इस प्रकार इमारतों का पूंजीकरण न होने की वजह से 481.01 लाख रूपये तक वसूली योग्य अग्रिम धन को अधिक करके दिखाया गया और नियम परिसम्पत्तियों को कम करके दिखाया गया।

बी) इस राशि में वर्ष 2012-13 के दौरान बीएसएनएल को अग्रिम धन के रूप में प्रदान की गई 15,16,860/- रूपये की वसूल की जाने योग्य अग्रिम धन राशि (जीआईए) (अनुसूची 8ए के अनुसार) है। जिसे एक गीगा बाइट प्रति सैकेंड की दर से कैनेक्टिवीटी प्रदान करने के लिए दिया गया था, जो सूचना तथा संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन संबंधी केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1.4.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए थी। इसे संबंधित वर्षों की अवधि से जुड़े खर्च से चार्ज किया जाना था जैसे कि बीते वर्ष के खाते पहले ही बन्द किए जा चुके हैं अतएव अनिवार्य संशोधन लेखाकरण प्रविष्टियां, वर्तमान वर्ष के खातों में पारित की जानी चाहिए थीं । बीते वर्ष में हुए गलत लेखाकरण संशोधन न होने के परिणामस्वरूप 10.11 लाख रूपये तक सामान्य निधि को अधिक करके दर्शाया गया और वसूली योग्य अग्रिम धन को अधिक करके दिखाया गया।

बी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 17)
बी.1 अवमूल्यन (क्रम सं0 1.4)
उपर्युक्त लेखाकरण नीति यह दर्शाती है कि लेखा बहियों में नियत परिसम्पत्तियां का कोई भी अवमूल्यन नहीं किया गया जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 04.07.2013 के पत्र सं0 एफ3-16/2007/टीएस के मद्द नजर आकादमिक संस्थान होने के नाते इसे दिनांक 04.09.2009 को संस्थान की वित्त समिति की 30वीं बैठक में स्वीकृत्ति दे दी गई थी। संस्थान की उपरोक्त नीति भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 6) के साथ-साथ दिशा-निर्देशों, भारत सरकार द्वारा अधिदेशाधीन उस लेखाकरण प्रणाली की उल्लंघना है जिसके अनुसार सभी संस्थानों को परिसम्पत्तियों से अवमूल्यन चार्ज करना चाहिए।

beneficiary students has not been received from the sponsoring agencies. This has resulted in understatement of Current Assets and understatement of Current Liabilities by Rs.12.01 lakh.

A.3 Loans, Advances & Deposits: (Schedule 26)
SLIET Main Account: Rs. 3144.13 lakh (Schedule 8)
Advance Recoverable (GIA) (As per Schedule 8A): Rs. 2374.03 lakh

a) The above includes Rs. 439.96 lakh being the cost of Construction of Three seater hostel and work of overhead tank/ new water supply line incurred by CPWD out of the funds advanced to it by the Institute. The construction of hostel building was completed by CPWD and is being put to use by the Institute since 2010-11. Similarly, work of Overhead tank/ connection of new water supply line was completed in January 2010 at the cost Rs. 41.05 lakh incurred by CPWD out of the funds advanced to it by the Institute. Thus non capitalization of buildings has resulted in overstatement of Advance Recoverable and understatement of Fixed Assets by Rs. 481.01 lakh.

b) It includes Advance Recoverable (GIA) (As per Schedule 8A) Rs. 15,16,860 in respect of the advance granted to BSNL during the year 2012-13 on account of providing one Gigabyte Per Second connectivity under the Central Government sponsored scheme of National Mission on Education through Information and Communication Technology, related to the period from 01.04.2012 to 31.03.2015. It should have been charged to the expenditure of the related years. As the accounts of the previous year are already closed, necessary rectification accounting entry should have been passed in the current year's accounts. Non-rectification of wrongful accounting done in the previous year have resulted in overstatement of General fund and overstatement of Advances recoverable by Rs. 10.11 lakh.

B. Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17)
B.1 Depreciation (Sl. No. 1.4)

Accounting policy as captioned above states that no depreciation on fixed assets has been provided in the books of accounts, as approval accorded in the 30th Finance Committee meeting of the Institute dated 04.09.2009, being an academic Institute in the light of Govt. of India MHRD letter No.-F3-16/2007/TS-1 dated 04.07.2003. Above policy of the Institute is in contravention of Accounting Standard (AS -6) issue by the Institute of Chartered Accountants of India as well as directions and Accounting System mandated by the Government of India, as per which all institutions should charge Depreciation on the Assets.

बी.2 राजस्व पहचान (क्रम सं0 1.6)

उपरोक्त शीर्षक वाली लेखाकरण नीति यह दर्शाती है कि विद्यार्थियों के शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों से प्राप्त सभी राजस्व को नकदी आधार पर प्राप्त राशि के रूप में मान्यता दी गई है। विद्यार्थी शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों के संबंध में लेखाकरण नीति आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9(राजस्व पहचान) के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी अधिदेशाधीन उस लेखाकरण प्रणाली एवं दिशा-निर्देशों की उल्लंघना है जिसके अनुसार सभी संस्थानों के लेखाकरण को अक्रूअल आधार पर अपनाने के लिए अधिदेशित किया गया था।

वर्ष 2013-14 हेतु लेखों में अकादमिक प्राप्तियां (अनुसूची 9) तथा अन्य आय (अनुसूची 11) में ट्यूशन शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों की धनराशि है। यह धन राशि 4,32,21,842/- रूपये (40165832 अकादमिक प्राप्तियां तथा 30,56,010/-रूपये, अनुसूची 11) है जो ये प्राप्तियां सातवें सेमेस्टर के प्रमाण-पत्र कोर्स, डिप्लोमा प्रोग्राम तथा पूर्व स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर कोर्स से संबंधित हैं। यह राजस्व जनवरी, 2014 से प्रारम्भ सेमेस्टर से संबंधित राशि से है। अतएव इसमें वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम तिमाही की प्राप्तियां शामिल हैं। अकादमिक प्राप्तियों में अप्रैल 2013 से जून 2013 तक की अवधि हेतु 222.84 लाख रूपये की ऐसी प्राप्तियां शामिल नहीं है जिन्हें बीते वर्षों के खातों में राजस्व में पहले ही शामिल किया गया है। यह मुद्दा गत वर्ष की लेखा-परीक्षा में भी उठाया गया था तथापि संस्थान द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतएव भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय प्रणाली एवं एएस 9 की अनुपालना न करने से 216.11 लाख रूपये (4,32,21,842/2) तक वर्तमान देयताओं तथा प्रावधान के साथ-साथ आय से व्यय की अधिकता को कम करके दिखाया एवं सामान्य फंड को अधिक करके।

बी.3 सेवा-निवृत्ति लाभ (क्रम सं0 1.8)

उपरोक्त शीर्षक गत लेखाकरण नीति दर्शाती है कि उपदान, छुट्टी भुनाना जैसे सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया गया है। यह नीति भारत सरकार के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 15) के साथ साथ निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा अधिदेशाधीन लेखाकरण प्रणाली से मेल नहीं खाती, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ यथा कर्मचारियों को मृत्यु/सेवानिवृत्ति लाभ पर देय उपदान, पेंशन इत्यादि हेतु देयताओं के लिए प्रावधान अक्रूअल मूल्यांकन आधार पर रखे जाने की जरूरत है।

सी सामान्य

सी.1 कर्मचारियों की भविष्य निधि का निवेश

वित्त मंत्रालय की 14 अगस्त 2008 की अधिसूचना, गैर सरकारी भविष्य निधि द्वारा अपनाए जाने वाले निवेश के नमूने को निर्धारित करती हैं, जिसके अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी आवधिक जमा प्राप्तियों में निवेशित राशि का प्रतिशत, 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। तथापि बैंक द्वारा जारी साविधिक जमा प्राप्तियों में संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि की पूरी धन राशि को संस्थान द्वारा निवेशित किया जा कर रहा है, जोकि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की उल्लंघना हैं।

B.2 Revenue Recognition (Sl. No. 1.6)

Accounting policy as captioned above states that all revenue from student fee and other receipts are recognized on cash basis. Above captioned Accounting Policy in respect of student fee and other receipts contravene the Accounting Standard 9 (Revenue Recognition) issued by ICAI as well as directions and Accounting System mandated by the Government of India, as per which all institutions are mandated to apply accrual basis of accounting.

Academic receipts (Schedule 9) and Other Income (Schedule 11) in the accounts for the year 2013-14 include Tuition fee and other receipts amounting Rs. 4,32,21,842 (Rs. 4,01,65,832 in Academic receipts and Rs. 30,56,010 in Schedule 11) in respect of seven semesters of certificate and diploma programme & Under-graduation and Post-graduation courses, which constitute the revenue in respect of semester starting from January 2014 and thus, include the revenue of the first quarter of the financial year 2014-15. Further, academic receipts do not include the receipts of Rs. 222.84 lakh for the period from April 2013 to June 2013 which is already included in the revenue in the accounts of the previous year. This issue was also raised during the previous year's audit. However, no action was taken by the Institute. Thus, non-compliance of Financial System introduced by the Government of India and AS 9 have resulted in understatement of Excess of Expenditure over Income as well as Current Liabilities & Provisions and overstatement of General Fund by Rs. 216.11 lakh (Rs.4,32,21,842/ 2).

B.3 Retirement benefits (Sl. No. 1.8)

Above captioned Accounting Policy states that Retirement benefits such as gratuity leave encashment are accounted for on cash basis. This policy is contradictory Accounting Standard (AS -15) issue by the Institute of Chartered Accountants of India as well as directions and Accounting System mandated by the Government of India, as per which Provision for liability towards Retirement Benefits such as gratuity, pension etc payable on death/ retirement of employees needs to be made on actuarial valuation basis.

C General

C.1 Investment of Employee Provident fund

Ministry of Finance notification dated 14 August 2008 prescribe the pattern of investment to be followed by Non-government Provident Funds, as per which percentage of amount to be invested in Term Deposit Receipts issued by Scheduled Commercial Banks can't exceed 40 *per cent*. However, the institute is investing the entire fund of its Employee Provident Fund in the Term Deposit Receipts issued by the banks and thus, contravening the guidelines issued by the Ministry of Finance, Government of India.

सी.2 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के सीएजी के साथ परामर्श करके वर्ष 2001 में सभी केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखों का एकरूप फार्मेट प्रारम्भ किया था । संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के लेखे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु तैयार किए गए लेखों के ऐसे नए फार्मेट में दिखाए गए हैं, जिन्हें भारत के सीएजी के साथ परामर्श करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

सी.3 वार्षिक खातों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियों का नेट प्रभाव।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु संस्थान के वार्षिक लेखों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियों का नेट प्रभाव यह रहा कि परिसम्पत्तियां 349.86/- लाख रूपये तक नियत की गई, देयताएं 228.12 लाख रूपये तक कम नियत की गई, वर्ष हेतु घाटा 253.88 लाख तक कम नियत किया गया एवं सामान्य निधि 577.98 लाख रूपये तक अधिक नियत किया गया।

डी सहायता अनुदान

5883.66लाख रूपए के उपलब्ध फंड (वर्ष के दौरान प्राप्त 3931.30 लाख रूपये की अनुदान सहायता राशि सहित (1347.30 लाख रूपए प्लान तथा 2584.00 लाख रूपए नॉन प्लान)) 925.49 लाख रूपये का पिछले वर्ष का शेष (308.30 लाख रूपए प्लान तथा 617.19 लाख रूपये नॉन प्लान) एवं 1026. 87 लाख रूपये की आन्तरिक आय (नॉन प्लान)में से संस्थान 5731.14 लाख रूपये की राशि ही प्रयोग में ला सका (1655.55 लाख रूपए प्लान तथा 4075.59 लाख रूपये नॉन प्लान) शेष 152.52 लाख रूपये न खर्च हो सकने की वजह से शेष बच गए (0.05 लाख रूपये प्लान तथा 152.47 लाख रूपये नान प्लान), वर्ष के दौरान 1347.30 लाख रूपये की प्राप्त हुई प्लान अनुदान राशि में मार्च 2014 के दौरान 350.00 लाख रूपये की अनुदान राशि शामिल है।

इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) नामक परियोजना के 659.70 लाख रूपये के उपलब्ध फंड में से (632.02 लाख रूपये की अथ शेष राशि एवं 27.68 लाख रूपये की आंतरिक आय शामिल है) संस्थान 210.06 लाख रूपये ही उपयोग में ला सका और 449.64 लाख रूपये न खर्च हो सकने की वजह से शेष बच गए।

ई प्रबंधन पत्र

लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियां उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पृथक् रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से संस्थान के प्रबंधन की सूचना में लाई गई हैं।

v. पिछले पैराग्राफों में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों

C.2 Ministry of Finance, GOI had introduced Uniform Format of Accounts for all Central Autonomous Bodies in 2001 in consultation with CAG of India. Accounts of the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab) have been prepared in the new format of accounts introduced by Ministry of Human Resources Development, Government of India for Institutions of Higher Education, which are still under finalization in consultation with CAG of India.

C.3 Net impact of Audit comments on the Annual Accounts

Net impact of Audit comments on the Annual Accounts of the Institute for the year ending 31 March 2014 is that Asset overstated by Rs. 349.86 lakh, Liabilities understated by Rs. 228.12 lakh, Deficit for the year understated by Rs. 253.88 lakh and General Fund overstated by Rs. 577.98 lakh.

D. Grant-in-aid

Out of the available funds of Rs.5883.66 lakh (including Grant in Aid received during the year Rs.3931.30 lakh (Plan Rs.1347.30 lakh and Non Plan Rs.2584.00 lakh), previous year balance of Rs.925.49 lakh (Plan Rs.308.30 lakh and Non Plan Rs.617.19 lakh) and internal income of Rs.1026.87 lakh (Non Plan)), the Institute could utilize the sum of Rs.5731.14 lakh (Plan Rs.1655.55 lakh and Non Plan Rs.4075.59 lakh) leaving a unspent balance of Rs.152.52 lakh (Plan Rs.0.05 lakh and Non Plan Rs.152.47 lakh). Plan Grant received during the year of Rs. 1347.30 lakh includes grant of Rs. 350.00 lakh received in the month of March 2014.

Besides, out of the available funds of Rs.659.70 lakh (including opening balance of Rs.632.02 lakh and internal income of Rs.27.68 lakh) of project of Technical Education Quality Improvement Programme (TEQIP), the Institute could utilise a sum of Rs.210.06 lakh leaving an unspent balance of Rs.449.64 lakh.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit report have been brought to the notice of the Institute's management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and

तथा इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में सामान्यता स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं ।

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2014 को संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु घाटे के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लिए

हस्ता/-

प्रधान निदेशक, लेखा-परीक्षा (केन्द्रीय)
चण्डीगढ़

स्थान: चण्डीगढ़
तिथि:

subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Longowal (Punjab)as at 31st March 2014; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the Deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India.

Principal Director of Audit (Central), Chandigarh

Place: Chandigarh
Date:

पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुबंध

1. आन्तरिक नियंत्रक प्रणाली
निम्नलिखित के अवलोकन में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विषयक कमियाँ पाई गई:
(i) आन्तरिक नियंत्रण समुचित नहीं रहा तथा संस्थान में कोई भी लेखाकरण मैनुअल तैयार नहीं किया गया ।
(ii) संस्थान ने कर्मचारियों द्वारा नकद तथा स्टॉक जैसी मूल्यवान गतिविधियों के निर्वहन संबंधी सुरक्षा जमा राशि/कर्त्तव्य परायणता प्रतिभूति नहीं ली हैं।

2. आन्तरिक लेखा-परीक्षा
संस्थान ने अपनी आन्तरिक लेखा-परीक्षा सनदी लेखाकार फर्म के माध्यम से करवाई है। निम्नलिखित के अवलोकन में आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली में कमियों पाई गई है।
(i) संस्थान में किसी भी आन्तरिक लेखा-परीक्षा मैनुअल का निरूपण नहीं किया गया ।
(ii) संस्थान ने आन्तरिक लेखा-परीक्षा के कार्य-क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया।

3. नियत परिसम्पत्तियों तथा सामान सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन
वर्ष 2013-14 हेतु नियत परिसम्पत्तियों तथा सामान सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन जारी स्थिति में था।

4. सांविधिक प्राप्य ।
संस्थान सांविधिक प्राप्यों के भुगतान में नियमित रहा है।

उप निदेशक(सीई)

Annexure to Separate Audit Report

1. Internal control system

Internal control system was found to be deficient in view of the following observations:

(i) The institute has not prepared its Accounting Manual;

(ii) The institute has also not obtained any security deposits/fidelity guarantees in respect of employees handling valuables such as cash and stock;

2 Internal Audit

Institute have got conducted it's Internal Audit through a firm of Chartered Accountants. Internal Audit System was found to be deficient in view of the following:

(i) No Internal Audit Manual has been formulated by the Institute;

(ii) Scope of Internal Audit has not been defined by the Institute.

3 Physical verification of Fixed Assets and Inventory

Physical Verification of Fixed Assets and Inventory for the year 2013-14 was under progress.

4 Statutory dues

The institute was regular in depositing the Statutory dues.

Deputy Director (CE)

Events During the Year गतवर्ष में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

NSS - NCC Activities at a Glance

एनएसएस – एनसीसी की गतिविधियां एक नजर में

Celebrations of the Independence Day & Republic Day

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह

Events During the Year गतवर्ष में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

Programme Arranged by Central Ground Water Board to Promote Water Management
जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम

SLIET at Baja Sae 2014 बाजा साई 2014 में स्लाईट

Department of Mechanical Engineering: STTP on "Bio-energy Technologies for Power and Environmental Applications"
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग: "पावर और पर्यावरण के अनुप्रयोगों पर एसटीटीपी जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए

Lecture by Dr. Alok Kumar Srivastava, Director, Referral Laboratory
डॉ आलोक कुमार श्रीवास्तव, निदेशक, रेफरल प्रयोगशाला व्याख्यान करते हुए।

Celebrations of the National Education Day
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समारोह

संस्थान कुलगीत

जयति जयति विद्या संस्थान।
रावी-व्यास कल-कल अनुगूंजित
सृजन मंत्र देता अविराम।।
'योग कर्म-कौशल' नित मन में,
गुरु वाणी अमृत कण-कण में,
ज्ञान-ज्योति जागृत जीवन में,
संत हृदय दर्पण अभिराम।
सृजन-मंत्र देता अविराम।। जयति जयति,
गौरव संस्कृति, दर्शन उज्जवल,
प्रगति संदेश प्रचारित पल-पल
यांत्रिक-शिक्षा नवयुग संबल,
युवाशक्ति चिर गरिमा-गान।
सृजन-मंत्र देता अविराम।। जयति जयति,
शिवं-कामना चहुँ दिशि रंजित,
'चरैवेति' मंगल-ध्वनि गुंजित,
भ्रातृ-भावना नित अभिव्यंजित,
सर्व धर्म सम्भाव विधान।।
सृजन-मंत्र देता अविराम।।
उद्योग-क्रान्ति आह्वान करें हम,
नवयुग, नव निर्माण करें हम,
भू को स्वर्ग समान करें हम,
अमृतमय शारद वरदान।
सृजन-मंत्र देता अविराम।।
भा